ज़बरन बेदख़ली के विरुद्ध दक्षता प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

एंटी-इविक्शन सपोर्ट सेल, दिल्ली।

प्रकाशन एवं प्रस्तुति:

एंटी इविक्शन सपोर्ट सेल, दिल्ली।

फ़्रंट कवर चित्र

निधिन शोभणा।

बैक कवर चित्र:

हर्ष गुप्ता।

आवरण:

अंकित झा।

संस्करण:

प्रथम। 2018

एंटी इविक्शन सपोर्ट सेल, दिल्ली।

एंटी-इविक्शन सपोर्ट सेल

9833900200

समुदायों के लिए ट्रेनिंग मोड्यूल

क्र	विषय	विषय-वस्तु	सत्र का उद्देश्य	सं सा ध न साहित्य	रिसोर्स व्यक्ति	अपेक्षित अवधि	सत्र की सीख

1	घर- एक खोज.	- प्रतिभागियो का स्वागत कीजिये, उनसे उनका संक्षिप्त परिचय लीजिये एवं विषय को लेकर उनके मौजूदा ज्ञान पर संक्षेप में चर्चा कीजिये. - प्रतिभागियों को 5-10 सदस्यों के समूहों में विभाजित कीजिये. - प्रत्येक समूह को एक कागज़, कलम एवं अन्य अपेक्षित सामग्री प्रदान कीजिये. - प्रतिभागियों को "मेरे सपनो का घर" विषय पर एक चित्र बनाने को कहिये. - प्रतिभागियो को उनके	- लोगों के नज़रिए से 'घर' शब्द को समझना और उसपर अपने विचार भी रखना. - बेदखली शब्द पर गहन चर्चा- क्या है, क्यों है? - बेदखली की वजहें और उनका एक आम आदमी के जीवन और जीविका पर	कागज़, कलम, रंग, स्केच पेन	युवा के साथी	20-30 मिनट	घर एवं बेदखली के विषय में लोगों की जानकारी में वृद्धि लोगों के दृष्टिकोण की संचालक को एक संक्षिप्त जानकारी. बेदखली के कारणों का ज्ञान.

2	<u>बेदखली – प्रभावों की गली से एक यात्रा</u>	प्रतिभागियों को इकठ्ठा करे. प्रतिभागियों द्वारा पर्चियों पर तोड़-फोड़ से होने वाली समस्या एवं प्रभाव लिखवाएँ. फिर एक बड़े से चार्ट शीट पर एक पेड़ का चित्र बनाएँ. सबसे पहले तोड़-फोड़ के कारें लिखवाएँ, फिर तोड़-फोड़ के समय होने वाली घटनाएँ लिखवाएँ और अंत में उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएँ. प्रतिभागियों को समझायें	- बेदखली के प्रभावों का उल्लेख, उनपर विस्तृत चर्चा - महिलाओं पर प्रभाव पर एक गहन दृष्टि. - बच्चों पर बेदखली के दुष्प्रभाव.	कागज़, कलम , स्केच पेन, चार्ट पेपर, बनाई हुई पर्चियां,	युवा साथी	20-30 मिनट	- संचालक को बेदखली के प्रभावों पर लोगों की समझ की जानकारी होना. - लोगों की प्रभावों की जानकारी पर वृद्धि.

3	कानून है मेरे साथ!	Annexure 3 में दी गयी नीतियों से लोगों को अवगत कराएं सामान्य चर्चा करें , लोगों से पूछें की उन्हें इन नीतियों के विषय में पहले कोई जानकारी थी या नहीं. प्रतिभागियों के साथ किसी बेदखली ग्रसित इलाके की सफलता की कहानी बांटे . उन्हें बताएं की उस क्षेत्र के लोग किस प्रकार अपने अधिकारों एवं राष्ट्रीय नीतियों का इस्तेमाल करके जबरन बेदखली के खिलाफ कानूनी तौर पर जीते थे.	- लोगों को जबरन बेदखली के परिपेक्ष में संवैधानिक कानूनों और अधिकारों से अवगत कराना - बेदखली के कारक कानूनों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराना	आवश्यक कहानियां, नीति एवं क़ानून	, युवा साथी	15 मिनट	- प्रतिभागियों को इस सत्र के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों और बेदखली के विरोध में उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई. - संचालक को यह स्पष्ट हुआ की क़ानून एवं अधिकारों की जानकारी आसन परन्तु संपूर्ण रूप में किस प्रकार आगे वितरित की जा सकती है .

4	एं टी - इ वि क्श न सपोर्ट सेल द्वा रा सहायता	प्रतिभागियों को युवा द्वारा संचालित "एंटी-इविक्शन सपोर्ट सेल" से परिचय करवाएँ. • सपोर्ट सेल द्वारा दी जाने वाली अलग-अलग सहायताओं के बारे में बताएँ. • फ़ोन लगाकर सूचना देने तथा उसके बाद की पूरी प्रक्रिया बताएँ. • **खेल :** काग़ज़ खोजो।	एंटी-इविक्शन सपोर्ट सेल का परिचय.	मो ड्यू ल , पैम्फ़्लेट, फ़ोन.		30 मिनट	

Annexure 1: घर

“एक असली घर ... जो बाहरी तत्वों से सुरक्षा दें; साफ़ पानी और स्वछता की उपलब्धता; सुरक्षित स्वामित्व और निजी सुरक्षा उपलब्ध कराये; और रोज़गार, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल के केन्द्रों से नज़दीक हो;और एक ऐसे कीमत पर हो की समाज और लोग उसका उपयोग कर सके.”

उचित आवास के अधिकार के दायरे:

उचित आवास का अधिकार के दायरे की गारंटी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर अंतर्राष्ट्रीय वाच, 1966 कि धारा 11 देती है, जिसको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति ने परिभाषित किया है.

किसी आवास को उचित होने के लिए कम से कम ये सात तत्व शामिल करने होंगे

1. स्वामित्व की कानूनी सुरक्षा
2. सुविधाओं की उपलब्धता
3. किफायती
4. अभिगम्यता
5. रहने योग्य
6. भौगोलिक स्तिथि
7. सांस्कृतिक पर्याप्तता

पैमाने के ये तत्त्व नागरिक सामाजिक संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और विस्तृत किये गए हैं जिनमे: शारीरिक सुरक्षा, भागीदारी और जानकारी, भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, बेदखली, क्षति और नुकसान से मुक्ति, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, शिक्षा और सशक्तिकरण की पहुच, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्ति आदि शामिल किये गए है.

‘स्लम्स’, झुग्गी या ‘मलिन बस्ती’ शहरी क्षेत्रों में विकास के अंतिम उपाय हैं, जहाँ पर लोगों को मजबूर किया जाता है की वो सार्वजनिक / निजी भूमि पर घर बनाएं जहाँ उन्हें कोई भी बुनियादी सुविधा नही मिलती, जो की राज्य की उनको किफायती आवास उपलब्ध कराने की असमर्थता के कारण होता है. यह राज्य का दायित्व है की उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें और कोई भी कदम उनकी स्थिति को बदतर करने के लिए न उठाया जाए, राज्य न सिर्फ नियमित रूप से निम्न आय वाली जनसँख्या / मजदूर वर्ग को बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ रहा है ,बल्कि उनको गलत तरीके से ‘अतिक्रमणकारी’ की उपाधि देकर उन्हें बार बार बेदखल क्र दिया जाता है.उनके आश्रय और आवास के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने की जगह बहुत से मौकों पर राज्य ने उनको आवास के स्थान से ज़बरदस्ती बेदखल किया है. इस तरह की बेदखली उनके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है.

बेदखली एक जटिल, बहु मुखी प्रक्रिया है और इससे एक परिभाषा के अंतर्गत बांधना कठिन है. कानूनी परिपेक्ष एवं शक्तिशाली प्रेरक ताकतें सबसे सबसे स्पष्ट निर्धारक हैं. बेदखली की इस सन्दर्भ में 2 परिभाषाएं दी जा सकती हैं -

“व्यक्ति, परिवार या समुदाय का उनके घर या ज़मीन से, बिना उनकी सहमति लिए, तात्कालिक या दीर्घकालिक निष्कासन, वो भी बिना उन्हें कोई कानूनी या अन्य सुरक्षा मुहय्या कराए.”

बेदखली, जो की कानूनी रूप से जबरन ना हो लेकिन स्वैच्छिक भी ना हो, अक्सर बातचीत द्वारा लोगों को उनके घरों से बेदखल करने के रूप में होती है,जब बातचीत की शर्तें गरीब घरों के प्रति,उनकी कमज़ोर कर्यकालिक स्थिति के कारण, अन्यायपूर्ण हों, या फिर इसलिए क्योंकि वे योजनाओं एवं विकास क़ानून या निर्माण मानदंड एवं मापकों पर खरे नही उतर रहे.

चाहे प्रेरक शक्तियां कितनी भी कानूनी प्रकृति की हो, अधिकतर बेदखली की प्रक्रियां हानिकारक एवं अनावश्यक होती हैं, और सामाजिक सहयोग प्रणालियो एवं गृह निवेश योजनाओं की बर्बादी और दरिद्रता की कारक बनती हैं. यदि बेदखली बिलकुल अनिवार्य हो, तो भी इसे कानून एवं अन्तराष्ट्रीय मानकों,सामान्य टिपण्णी 7 CESCR, के अनुसार ही किया जाना चाहिए. किसी भी बेदखली के अंत में लोग बेघर एवं पूर्वकाल से ज्यादा बदतर दिशा में नहीं छोडें जाने चाहिए.

Annexure 2: बेदख़ली के प्रभाव

बेदखली गरीबी कम करने के बजाय गरीबी पैदा करती है. यह सुलझाने की बजाय हमारे शहरों में आवास की समस्याओं में योगदान देती है। लगभग हर तरह से, बेदखली विकास के विपरीत है. किसी भी विकासशील देश में निष्कासन का सबसे बड़ा लक्ष्य गरीब है. वे बेदखली के प्रभावों का माहौल तैयार करने के लिए भी सबसे खराब समूह हैं और कम से कम औपचारिक क्षेत्र में सस्ती जमीन और आवास विकल्प खोजने में सक्षम हैं.

वो अपने घरों और सामानों में जितना निवेश करते हैं वो अक्सर बेदखली के दौरान खो देते हैं या वो नष्ट हो जाता है, ये लोग अपने समुदाय सहायता प्रणालियों को एक निष्कासन में खो देते हैं. कई लोग अपनी नौकरी और कमाई के साधन भी खो देते हैं.

नए घरों की स्थापना की प्रक्रिया में बेदखल परिवारों के कर्ज में फसने की अधिक संभावना है.

बेदखली गरीबों पर समय और परिवहन खर्च के अतिरिक्त बोझ डाल देती है. वे उचित स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार के अवसरों से दूर हो जाते हैं, और अलगाव और संघर्ष की परिस्तिथियाँ उजागर होती हैं जो अपराध और हिंसा को बढ़ा सकते हैं.

जबरन निष्कासन उन अनौपचारिक बस्तियों को नष्ट करने का एक तरीका हो सकता है जिन्हें अमीर लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन वे आवास की कमी को हल करने के लिए कुछ नहीं करते, जिससे लोगों को पहले स्थान पर रहने के लिए मजबूर किया गया.

दरअसल, लोगों के बेघर हो जाने से, वे समस्याएं को बदतर बनाते हैं. जब लोगों को किसी भी वैकल्पिक आश्रय के बिना अपने घरों से जबरन से बेदखल कर दिया जाता है, तो वे शहर की परिधि में नई छोटी बस्तियों बना लेते हैं या मौजूदा बस्तियों में चले जाते हैं.

यह "विकास परियोजनाओं" के विकास के परिणामों को नकार देता है, जिसके लिए अनौपचारिक बस्तियों को रास्ते से हटाया जाता है.

सरकार और शहर प्राधिकरण अक्सर सार्वजनिक और निजी जमीन पर बेदखली का औचित्य साबित करते हैं कि इन समुदायों ने महत्वपूर्ण सड़कों, नालियों, बिजली और पानी की आपूर्ति ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं को रोक रखा है - सभी को शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुरी तरह से जरूरी है।

सामुदायिक संगठन, नागरिक समाज

समूह और दाता तेजी से ऐसे अभ्यास पर सवाल उठा रहे हैं जो इतने सारे लोगों को कम कर देता है और इस तरह की पीड़ा का कारण बनता है, नागरिक आदेश और राष्ट्रीय विकास के नाम पर।

कानून कानूनी भूमि मालिकों के पक्ष में हो सकता है, और वे सभी के लिए पर्याप्त आवास के अधिकार से ऊपर अपनी संपत्ति के अधिकारों को रख सकते हैं, लेकिन विकसित करने के लिए एक शहर की विवादित आवश्यकताओं को हल करने का निष्कासन कम से कम रचनात्मक तरीका है.

Annexure 3: प्रासंगिक राष्ट्रीय नीतियाँ

अ. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम (2006)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भूमि का अधिकार उनके रोज़गार और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करता है. अधिनियम अपने परिचय में वन निवासी अनुसूचित जनजाति ,अन्य परंपरागत आदिवासियों तथा विकास आधारित विस्थापितों को स्वामित्व और उपयोग का अधिकार प्रदान हैं. ज़बरदस्ती बेदखली के सन्दर्भ में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत आदिवासियों को धरा 3 (1)(m), 4(2),और धारा 4(8) के अंतर्गत पुनर्वास और भूमि मुआवजा मांगने का अधिकार देता है.अधिनियम की धारा 3(1) (m) पुनर्वास और अवैध बेदखली और वन भूमि से विस्थापन के सन्दर्भ में वैकल्पिक भूमि का अधिकार प्रदान करता है.

धारा 4(8) उन व्यक्तियों के अधिकार की सुरख्षा करता है जिन्हें अपनी सरकारी विकास परियोजनाओं के चलते अपने आवास और खेती से बिना भूमि को अधिग्रहण के 5 साल तक उपयोग में नहीं लिया गया हो.

धारा 4(2) यह प्रदान करता है की किसी भी वन अधिकार धारक विस्थापित नहीं किया जाना चाहिये.न ही उनके अधिकार किसी भी सूरत में प्रभावित होने चाहिए, निम्नलिखित अपवादों को छोड़ कर-

- एक पुनर्वास योजना या वैकल्पिक योजना तयार कर ली गयी है जो प्रभावितों का रोज़गार सुनिश्चित करे.
- सम्बंधित ग्राम सभाओं की रजामंदी ले ली गयी हो
- पुनर्वास के स्थान पर ज़मीन का आवंटन और सुविधाएं पूरी की जा चुकी हो .

आ. **भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (2013)**

यह अधिनियम 1 जनवरी 2014 को प्रभाव में आया.

यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण की पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, और उचित मुआवज़े , पुनर्वास और विस्थापन प्रभावित लोगों और परिवारों को उपलब्ध कराता है. अधिनियम अधिग्रहण का यह नतीजा भी सुनिश्चित करता है कि 'प्रभावित लोग विकास में भागीदार बने, अधिग्रहण के पूर्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतरी हो '.

इ. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (1993):

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के कारन भारत में राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आये, यही अधिनियम इनकी ताकत और कार्य भी निर्धारित करता है.

इन आयोगों की शुरुआत विएना घोसना और कार्य योजना से पता चलती है, जिसे जून 1993 में अपनाया गया और मानव अधिकार के लिए संयुक्त रस्त्या के उच्चायुक्त के कार्यालय का निर्माण दिसम्बर 1993 में हुआ.

यह अधिनियम भारतीय राज्य की विएना घोषणा के अनुरूप नागरिकों के मानव अधिकारों के जिम्मेदारी की तत्परता को दिखता है, जिसमे कहा गया है(भाग 1, पद्य 1) की, "मानव अधिकार और मौलिक अधिकार है, इन अधिकारों को सुरक्षा और बढ़ावा सरकार की पहली जिम्मेदारी है."

अधिनियम की धरा 2 (d) मानव अधिकारों के लिए एक परिभाषा देती है... "मानव अधिकार" का मतलब जीवन, स्वतंत्र, समानता और व्यक्ति की गरिमा प्राप्त है या अंतर्राष्ट्रीय वाचएं में सन्नहित है और भारत में अदालतों द्वारा द्वारा प्रवर्तनीय है.

इस अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोगों ओ एक सिविल अदालत की शक्ति प्रदान की गयी है जब इसके अन्दर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के हिसाब से कोई मामला चल रहा हो. यह आयोग इनके सामने पीड़ित या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा की गयी मानव अधिकारों के उलंघन की शिकायतें या ऐसे किसी उल्लंघन को रोकने में सरकारी अफसर द्वारा की गयी शिकायतों की जाँच कर सकते हैं.जाँच पड़ताल के बाद आयोग

सम्बंधित सर्कार या विभाग को मुआवजा देने का सुझाव, अभियोजन पक्ष की कार्यवाही शुरू करने के लिएया उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है.

ई. **स्लम क्षेत्र (सुधर और निकासी) अधिनियम (1956)**

स्लम क्षेत्र (सुधर और निकासी) अधिनियम 1956 का उद्देश्य" कुछ केंद्र शाशित राज्यों में स्लम क्षेत्र का सुधर और सफाई है और ऐसे क्षत्रों में रह रहे लोगों की बेदखली से सुरक्षा." चूँकि यह अधिनियम एक केंद्र सर्कार का कानून है, इस्ल्ये यह केवल केंद्र शाशित प्रदेशों में प्रभावी है.

बहुत से दूसरे राज्य जैसे तमिल नाडू ने इसी तरह के कानून बनाये है या अधिनियम को अपने राज्य में बी बढाया. इस अधिनियम में ईमारत के गिर जाने या ना रहने योग्य ईमारत के सुधर के मामलों में सूचित किये जाने और मुआवजे क प्रावधान है.

इस अधिनियम की धरा 19विशेष रूप से स्लम क्षेत्रों में रह रहे किरायदारों को बेदखली से सुरक्षित करने के लिए है, और उन्हें सूचित किये जाने की उचित प्रक्रिया और वैकल्पिक आवास की सुविधा प्रदान करती है.

उ. **स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग नियम) अधिनियम (2014)**

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग नियम) अधिनियम (2014) फ़रवरी 2014 में कानून के रूप में संसद द्वारा प्रवर्तित हुआ. यह टाउन वेंडिंग कमेटियों की रचना प्रदान करता है जो की अपने अधिकार क्षेत्र में सड़क विक्रेताओं का संरक्षण करती है, और सुनिश्चित करती है की चिन्हित किये गए विक्रेताओं को वेंडिंग जोन में जगह मिले. यह कहता है की कोई भी सड़क विक्रेता सर्वेक्षण होने से पहले बेदखल नहीं किया जा सकता. यह अधिनियम प्रस्ताव देता है की सड़क विक्रेताओं का विस्थापन एक आखिरी उपाय होना चाहिए. साथ ही साथ विस्थापन के लिए कुछ सिधान्तों का पालन किया जाना चाहिए, जो की निम्न है :

i. जहाँ तक हो सके स्थानांतरण को टालना चाहिए जब तक संभंधित भूमि की स्पष्ट सुर तत्काल ज़रुरत है;
ii. प्रभावित विक्रेता या उनके प्रतिनिधियीं को पुनर्वास योजना को अमल में लेन और खाका बनाने में शामिल करना चाहिए;

iii. प्रभावित विक्रेताओं का स्थानांतरण करना चाहिए जिससे उनके रोज़गार और जीवन के स्तर में सुधर या वापस बेदखली के पहले स्तर पर आ जाये; और,

iv. प्राकृतिक बाज़ार जहाँ सड़क विक्रेता पचास साल से व्यापर कर रहे हो, उनको धरोहर बाज़ार घोषित कर देना चाहिए, और ऐसी बाज़ारों में स्थित सदा विक्रेताओं का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए.

एंटी-इविक्शन सपोर्ट सेल,
दिल्ली ।